खण्ड १ — अंक १०

२७ फरवरी, १९५६, (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

पृष्ठ

संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६

राष्ट्रपति का अभिभाषण १–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश ६
श्री नटेशन का निधन ६
विशेषाधिकार प्रश्न ... ६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ७
स्थान प्रस्ताव—
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण ८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक १०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक ११
दैनिक संक्षेपिका ... १२–१५

संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६

श्री मेघनाद साहा का निधन १७
दैनिक संक्षपिका ... १८

संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मनीपुर राज्य में गोली चलाना ... १९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ... २१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक २१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक २१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक २२
जीवन बीमा निगम विधेयक ... २२
लोक-सभा का कार्य २३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ... २३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ... २४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ४७–६४
दैनिक संक्षेपिका ६५–६६

संख्या ४—शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	९८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १—२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १—२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १—२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १—९ और अनुसूची १—३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१६
खंड १—२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६

संख्या ५—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—रायें १९०

राज्य-सभा से संदेश १९०

बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—

खण्ड १९१–९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६

राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५

दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२

समिति के लिये निर्वाचन—

दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१

दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५

रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६

दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९

राज्य-सभा से सन्देश ३५९

भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०

नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७

खण्ड २ और १ ... ३७७

पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८

पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ९५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)—
विचार करने का प्रस्ताव ३८६—४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१—०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७—०८

संख्या १०—सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९—१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९—२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति—
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१—२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४२२—२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४—६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४—६५

संख्या १२—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८--८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९--९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२--५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०--३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६--९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३--९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५--६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३--३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७--३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ...	६३६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	६३६-६८
खण्ड २ से १६ और १	६६८-७७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६७७-७८
दैनिक संक्षेपिका	६७६

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये--भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, एसा प्रतीत होता है कि दुर्भाग्य की घटायें हमारे ऊपर सभी दिशाओं से घिरती चली आ रही हैं । हम सभी का विचार है कि कोई अशुभ घड़ी हमारा पीछा कर रही है । लोक-सभा को यह अशुभ समाचार सुनाने का यह दुखद कार्य भी मुझ को ही करना पड़ा है ।

आज प्रातः पौने नौ बजे, मुझे अहमदाबाद से टेलीफोन द्वारा अपने अध्यक्ष महोदय के पुत्र का यह संदेश प्राप्त हुआ कि आज ७ बज कर ५० मिनट पर, अर्थात् मुझे सूचना प्राप्त होने से एक घंटे से भी कम समय पूर्व, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया । उन्होंने मुझे बताया कि सब बातों को देखते हुये कल उनके पिता की दशा कुछ अच्छी थी । परन्तु फिर भी इस समय उनका निधन हो गया ।

एक प्रकार से पिछले कुछ दिनों से हम लोग चिन्ताग्रस्त थे और साथ ही हम सभी क मन भी आशंकाओं से पूर्ण थे । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी आशंका अधिक सुदूर भविष्य के सम्बन्ध में थी । मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि इसी समय, अचानक उनका निधन हो जायेगा । कुछ भी हो, हमारे अध्यक्ष महोदय दिवंगत हो गये हैं ।

मेरा ख्याल है कि जब से हम में से कुछ लोगों ने, जिनमें मैं भी था, इन सभाओं में कार्य करना आरम्भ किया तब से कोई नौ वर्ष होने आते हैं । वह पुरानी विधान सभा के अंतिम दिन थे ; उसके बाद संविधान सभा और फिर लोक-सभा अस्तित्व में आयी । इन सभी आरम्भ के दिनों में, कठिन दिनों में, विकास शील दिनों में वह श्री मावलंकर ही थे जो हमारे पथ-प्रदर्शक बन कर कुल देवता के रूप में बैठे, वह हमारी सहायता किया करते थे, हमें झिड़क भी दिया करते थे, हमें सही रास्ते पर रखने का प्रयास किया करते थे, बाद में अनुसरण किये जाने के लिये पूर्व दृष्टांत निर्धारित करते थे और लोक-सभा में

†मूल अंग्रेजी में

M82/LSD

[श्री जवाहरलाल नेहरू]
भारत के संसदीय जीवन के विकास की रूपरेखा को गढ़ा करते थे । एक दूसरे क्षेत्र में, जैसा ग्राप सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष वह हमारी सभी राज्य विधान-सभाग्रों के ग्रध्यक्षों को एकत्र करके उनके साथ सामान्य हित के विभिन्न मसलों पर चर्चा किया करते थे क्यों वह इस बात के लिये ग्रत्यन्त उत्सुक थे कि यहाँ भली प्रकार से ग्रौर सच्चे ग्रर्थों में संसदीय सरकार की स्थापना की जाये । उनको स्वयं भी बहुत ग्रधिक ग्रनुभव प्राप्त था, क्योंकि जैसा कि लोक-सभा को ज्ञात है, वह पुरानी विधान सभा के ग्रध्यक्ष बने थे ग्रौर उस रुप में उन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया था । बाद में हम सब उनके ग्रधिकाधिक सम्पर्क में ग्राये ग्रौर उनके नेतृत्व में कार्य करते रहे हैं ।

मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम, ग्रौर मैं समझता हूँ कि कुछ ग्रौर लोग भी, ग्रपने ग्रध्यक्ष के रूप में श्री मावलंकर के इतने ग्रभ्यस्त हो गये थे ग्रौर उनके उस ढंग पर, जिससे वह शान्ति, नम्रता परन्तु साथ ही दृढ़ता पूर्ण प्रत्येक स्थिति का सामना किया करते थे, इतना ग्रधिक निर्भर करने लगे थे कि, उनके बिना इस संसद की कल्पना हम कठिनाई से ही कर सकते थे । वह इस के ग्रभिन्न ग्रंग थे, जिन्होंने हम सब को एक श्रृंखला में बांध रखा था । इसलिये उनके निधन से, एक निश्चित व्यक्तिगत शोक के ग्रतिरिक्त, एक पूरी परम्परा से प्राय: एक ऐसी संस्था से, जिसका यहाँ पर विकास हुग्रा था, साथ छूट गया है । इसमें संदेह नहीं कि यह संसद ग्रौर हम सब ग्रपना-ग्रपना कार्य करते रहेंगे । दुनिया चलती रहती है । संसद् चलती रहती है । निस्संदेह, भारत भी चलता रहता है । कोई भी व्यक्ति ग्रपरिहार्य नहीं है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो । परन्तु यह सत्य बना रहता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस संसद् का इतना ग्रंतरंग ग्रंग समझा जाता था कि उसको उसके कार्यों से ग्रलग कर सकना कठिन था, तो वह श्री मावलंकर थे ग्रौर उनके चले जाने से लोक-सभा एक शिर-विहीन शरीर के समान रह गयी है, ग्रौर एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसको भर सकना बहुत ही कठिन है ।

हममें से ग्रनेक ग्रन्य तरीकों से, राजनीतिक क्षेत्र में इतने सीधे ढंग से नहीं, वरन ग्रच्छे कार्यों में उनकी इतनी महान ग्रभिरुचि के कारण, श्री मावलंकर के सम्पर्क में ग्राये हैं । गांधी स्मारक निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि के समान बड़ी बड़ी निधियों से, जो सब के हित के लिये हैं, उनका सम्बन्ध था । इन निधियों को देख रेख करने ग्रौर इस बात की व्यवस्था करने का, कि उनका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाये, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार था । स्वाभाविक ही था, ग्रन्य लोगों द्वारा उनकी सहायता की जाती थी । परन्तु कार्य रूप में वह इन निधियों के संचालन से सम्बन्धित छोटी से छोटी बारीकी ग्रौर ब्यौरे को भी स्वयं देखते थे । मैं यह स्वीकार करता हूं कि ग्रनेक बार मुझे यह देख कर ग्राश्चर्य हुग्रा है कि वह किस प्रकार से इन निधियों के संचालन सम्बन्धी छोटे से छोटे ब्यौरे की जांच करते थे ग्रौर यह देखते थे कि क्या उन निधियों का उचित ढंग से उपयोग किया जाता था । कभी कभी हम में से कुछ उनकी किसी कार्य की पूरे तौर से करने की ग्रादत के कारण ग्रधीर हो उठते थे, क्योंकि इसके कारण किसी निर्णय पर पहुँचने में देर लगती थी । परन्तु यह बड़ी ग्रच्छी बात थी कि वह कार्य की इतनी बारीकी से छानबीन करते थे । यह भी बहुत ही ग्रच्छा होगा यदि हम सब भी इसी प्रकार के कार्यों ग्रौर ग्रन्य कार्यों में उनके समान ही कार्य करने वाले बन जायें ।

कुछ भी हो, हम यहाँ लोक-सभा में उनके साथ ग्रनेक रूपों में सम्बन्धित हैं, विशेषरूप से ग्रध्यक्ष के रूप में । वह लोक-सभा के प्रथम ग्रध्यक्ष थे, हम तो यह भी कह सकते हैं कि वह लोक-सभा के जनक थे, ग्रौर मुझे विश्वास है, कि उनका नाम लम्बे समय तक लोक-सभा ग्रौर हमारी संसद् के साथ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता रहेगा जिसने उसको यह स्वरूप दिया, यह निदेश दिया है ग्रौर उस पर ग्रपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी । हम सभी उससे लाभान्वित हुये हैं; हम सभी इससे कुछ हद तक प्रभावित हुये हैं; हम सभी को कुछ सीमा तक उसने पहले से कुछ ग्रधिक श्रेष्ठ बनाया है । किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना एक बहुत बड़ी बात है कि उसने ग्रपने सम्पर्क द्वारा ग्रन्य लोगों को संवारा, प्रभावित किया

ग्रौर सुधारा है। व्यक्तियों के रूप में हमारे द्वारा उन्होंने लोक-सभा ग्रौर संसद् को ग्रौर पुनः उसके द्वारा समस्त देश को प्रभावित किया है ।

इसलिये हम शोकाकुल ग्रौर ग्रनाथ हैं। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूँ कि ग्राप हमारी हार्दिक वेदना ग्रौर सहानुभूति उनके परिवार तक पहुँचा देने की कृपा करें। मुझे इसमें संदेह नहीं कि ग्राप ग्रौर लोक-सभा इस बात से सहमत होगी कि ग्राज लोक-सभा स्थगित कर दी जाय।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी**, (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, प्रधान मंत्री ने श्री मावलंकर के निधन पर जो ग्रपार शोक प्रकट किया है, उसका इस लोक-सभा में मैं ग्रपने दल की ग्रोर से समर्थन करता हूँ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस सत्र में निर्मम दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा है ग्रौर हमारे ऊपर एक के बाद एक ऐसे ग्राघात हो रहे हैं जो हम झकझोरे डाल रहे हैं ग्रौर प्रतिस्थापन की ऐसी राष्ट्रीय समस्यायें उत्पन्न किये दे रहे हैं जिन को मेरे विचार से ग्रासानी से हल नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक हमारे ग्रध्यक्ष महोदय का सम्बन्ध था, ग्राज प्रातः तक के समाचार-पत्रों में हमने विज्ञप्ति पढ़ी थी ग्रौर हमें ग्राशा थी कि वह निरोग हो जायगें, परन्तु ऐसा नहीं होना था।

विरोधी पक्ष के एक सदस्य के रूप में बोलते हुये मैं स्पष्ट शब्दों में यह कह सकता हूँ कि हममें से ग्रधिकांश के लिये यह एक वास्तविक ग्रौर निर्मम ग्राघात है ग्रौर यह बात हमारी कल्पना से भी परे है कि हम लोक-सभा में ग्रा कर उनको ग्रध्यक्ष-पीठ पर न देखें, उनकी मुस्कान को न देखें, उनके उदारतापूर्ण व्यवहार को न देखें, उनके प्रताप ग्रौर उनके व्यक्तित्व की ग्राभा को न देखें। मुझे स्मरण है कि प्रधान मंत्री ने इस संसद् के प्रथम सत्र में कहा था कि लोक सभा की ग्रध्यक्ष-पीठ पर किसी ग्रन्य व्यक्ति के बैठने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री मावलंकर से हमारे ग्रपने मतभेद थे, परन्तु जहाँ तक हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रश्न है, कभी भी कहीं पर कटुता का लेशमात्र भी नहीं था, ग्रौर हमें यह जानने के भी ग्रवसर प्राप्त हुये हैं कि उनके ग्रन्दर एक ऐसी लगन थी---कम से कम मुझे तो दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके ग्रन्दर उनके बराबर यह लगन हो---ग्रौर वह लगन इस बात की थी कि इस देश में संसदीय प्रणाली इस ढंग से कार्य करे जो कि हमारी राजनीतिक परम्पराग्रों के ग्रनुरूप हो, ग्रौर इस लगन के लिये उन्होंने ग्रपनी सारी योग्यता लगा दी थी---ग्रौर योग्यता की उनके पास कोई कमी नहीं थी, यह बात उनके सम्पर्क में ग्रानेवाले सभी लोग जानते हैं। इसीलिये मेरी यह धारणा है कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन के समान दूसरा हमें सहज ही देखने को नहीं मिलेगा। हमारा शोक गहरा ग्रौर सच्चा है ग्रौर मेरी कामना है कि विशेष रूप से ग्रपने दल की ग्रोर से ग्रौर लोक-सभा के प्रत्येक व्यक्ति की ग्रोर से ग्राप श्री मावलंकर के परिवार तक यह बात पहुँचा दें कि ग्रपने राष्ट्रीय जीवन के इस स्थल पर उनके दिवंगत हो जाने से हम सब कितने ग्रधिक संत्रस्त हैं।

†**श्री ग्रशोक मेहता** (भंडारा) : श्रीमान्, जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

श्री मावलंकर ग्रहमदाबाद में मेरे पितामह के घनिष्ठ मित्र थे ग्रौर इसलिये हमारे सम्बन्ध इतने वर्षों पुराने हैं जिनका कि मुझे स्मरण भी नहीं है। वह ग्राधुनिक ग्रहमदाबाद के निर्माताग्रों में से एक थे। उस नगर के ग्रार्थिक, सामाजिकि ग्रौर राजनैतिक जीवन पर श्री मावलंकर की ग्रमिट छाप है। श्री मावलंकर ग्रहमदाबाद के निर्माता थे, सरदार पटेल के बाद संभवतः उनका स्थान दूसरा था। ग्रारम्भ के दिनों में बम्बई विधान सभा के ग्रध्यक्ष के रूप में, उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की दिशा में मेरे राज्य का पथ प्रदर्शन करने में सहायता प्रदान की थी।

जब दो वर्ष पूर्व मैं यहाँ ग्राया तो मैंने पाया कि एक नये सदस्य के लिये वह सदा ही परामर्श ग्रौर पथ-प्रदर्शन के स्रोत थे।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

लोक-सभा में विरोधी-पक्ष निर्बल और असंगठित है, परन्तु वह हमारे संबल थे, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये, ऐसे अधिकारों की, जिन से अक्सर हम अवगत भी नहीं थे क्योंकि संसदीय जीवन के लिये हम नये थे, वह यहाँ मौजूद थे। पहले भी ऐसे अवसर आ चुके हैं जब हममें से कुछ का उनसे मतभेद हुआ है, परन्तु बीती हुई घटनाओं पर विचार करने पर मैंने देखा है कि अधिकतर उनकी ही बातें ठीक और हमारी बात ग़लत होती थी। सदैव यहाँ लोक-सभा में, परन्तु उससे भी अधिक बार अपने कक्ष में वह हमें परामर्श दिया करते थे, हमारा पथप्रदर्शन करते थे।

आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व हमारे नेता आचार्य कृपालानी ने अध्यक्ष का उल्लेख उन्हें शिक्षक कह कर किया था। वास्तव में यह उल्लेख उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिये किया गया था क्योंकि वह एक शिक्षक थे। आपको स्मरण होगा कि कार्य मंत्रण समिति की बैठकों में ऐसे कई अवसर आये जब कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कि संसद् को किस प्रकार कार्य करना है, उसे किस प्रकार विकसित होना है आदि हमें ऐसे पाठ पढ़ाये कि जिन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता है। जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा कि संसद् का कार्य चलता रहेगा किन्तु क्या वह उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार कि वह उनके मार्ग प्रदर्शन के अंतर्गत चला करता था? हम यहां क्या करने जा रहे हैं इसकी निश्चित कल्पना हमें नहीं है। हमारी कामना है कि अध्यक्ष-पद उन्हीं के समान कोई व्यक्ति आसीन हो जिसमें चरित्र बल हो, निर्भीकता हो, शीलनिष्ठा हो और जिसे लोक-सभा के प्रत्येक भाग की सद्भावना और निष्ठा प्राप्त हो। कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली है और हम उसकी तुलना में दुर्बल हैं और प्रजातंत्र के विकास के लिये राष्ट्र को किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष पद पर होने की आवश्यकता है जिसमें उनके समान निर्भीकता और अन्य गुण हों। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में उन को हमसे छीन लिया गया है जबकि हमें उनको अधिकाधिक आवश्यकता थी।

मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार के सदस्य यह अनुभव करेंगे कि यद्यपि उनकी हानि अपरिमित है तथापि उस हानि को वहन करने में पूरा राष्ट्र उनके साथ है और हममें से प्रत्येक को अत्यंत दुख हुआ है। उनके परिवार के सदस्यों की जो दशा इस समय है वही हमारी भी है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली): श्री मावलंकर के सम्मान में जो श्रद्धांजलियां यहां अर्पित की गई हैं मैं उनका समर्थन करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

भारत में संसदीय प्रजातंत्र के विकास के इतिहास में श्री मावलंकर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्माननीय होगा। राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के सम्बन्ध में मुझे इंग्लैंड जाने और वहां ब्रिटिश संसद् के कुछ सदस्यों से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी ने हमारी संसद् और संसद् के अध्यक्ष का अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया था। यह बड़े हर्ष की बात है कि संसदों की जननी ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के महान संसदविज्ञों ने हमारे अध्यक्ष को राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की परिषद के अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचित करने की इच्छा प्रकट की थी और उनसे मार्गप्रदर्शन और प्रकाश को अपेक्षा करते थे। इस लोक-सभा का सदस्य होने और एक भारतीय होने के नाते मुझे यह जानकर बहुत गर्व होता है कि हमारे अध्यक्ष का, न केवल इस लोक-सभा में, वरन बाहर भी अन्य देशों में आदर किया जाता था।

हमारे उनसे मतभेद थे। कभी-कभी हम उनके विनिर्णयों का विरोध भी करते थे किन्तु आज उन्हें यह श्रद्धांजलि अर्पित करने में, कि विरोधी दल के अधिकारों के बारे में वह अत्याधिक सतर्क थे और लोक-सभा के प्रत्येक सदस्य के विशेषाधिकारों के प्रमाणिक संरक्षक थे श्री मेहता और श्री मुकर्जी का मैं समर्थन करता हूं। अधीनस्थ विधान समिति का अध्यक्ष होने के नाते यह घोषित कर देना

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा कर्तव्य है कि कार्यपालिका की अत्यल्प निरंकुशता का उन्होंने सदैव विरोध किया और हमें समय-समय पर सावधान किया कि उस समिति के सदस्य होने के नाते हम जनता के अधिकारों के वास्तविक रक्षक थे और संसदीय सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्नता का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न हो अथवा इस पवित्र लोक-सभा के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का अतिचार न हो यह देखना हमारा कर्तव्य था।

भारत के समकालीन इतिहास में यह मास सब से अधिक शोकपूर्ण रहा है। इसी मास में हमने भारत के एक महान वैज्ञानिक को, जो हमारा साथी था, खो दिया। भारत के महान पुत्र आचार्य नरेन्द्र देव भी चले गये। भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश में हमने आधुनिक भारत का सब से महान विधिवेत्ता खो दिया है और आज हम उस व्यक्ति के, जिसे प्रधान मंत्री ने "लोक-सभा का जनक" बताया है, निधन पर शोकग्रस्त हैं।

हम, विशेषकर विरोधी दल के सदस्य इस बात को कहना अपना कर्तव्य समझते हैं कि यद्यपि वह अटल और दृढ़ थे तथापि भारत में संसदीय प्रजातंत्र को उद्विकसित करने के उच्चतम आदर्शों से अनुप्रेरित होते थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और इस राष्ट्रीय क्षति पर, उनके परिवार के सदस्यों के साथ हम भी दुखी हैं।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : श्री भावलंकर के निधन में भारत ने अपना एक महान पुत्र खो दिया है। संसद् को उनके परामर्श और प्रेरणा की आवश्यकता थी और देश को भविष्य में काफी समय तक उनकी सहायता और मंत्रणा की आवश्यकता थी। वह सभा की प्रतिष्ठा को कायम रखते थे और साथ ही सदस्यों के अधिकारों की रक्षा भी करते थे। उन्होंने जो परम्परायें स्थापित की हैं उनका पालन भविष्य में भी किया जाता रहेगा। यह हानि अपरिमित है। हमें लगता है कि उनके मार्ग प्रदर्शन के अभाव में यह लोक-सभा पहले की अपेक्षा श्रीहीन हो जायेगी। यह आघात इतना गंभीर है कि इस समय हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे। किन्तु हम लाचार हैं। इस समय हमारी प्रार्थना यही है उनकी आत्मा को शांति मिले।

मेरे अन्य मित्रों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उनका मैं, अपने दल की ओर से, समर्थन करता हूं और मेरा आप से और प्रधान मंत्री से भी अनुरोध है कि हमारे दुख और शोक की सूचना स्वयं श्री मावलंकर के परिवार के सदस्यों को दे दी जाये।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चितौड़) : मेरे माननीय मित्रों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनका मैं जन संघ की ओर से पूर्ण समर्थन करता हूं, और देश को जिन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता प्राप्त कराई उनमें से एक के निधन पर मुझे अत्यंत दुख है। मैं स्वयं को यह कहने से नहीं रोक सकता हूं कि सभी सदस्यों के प्रति उनका जो निष्पक्ष व्यवहार था उसने लोक-सभा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

मुझे आशा है कि आप हमारी सम्वेदनायें शोकसंतप्त परिवार को प्रेषित करेंगे।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दिवंगत अध्यक्ष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो अवसर आपने मुझे दिया उस के लिये मैं आपका आभारी हूं।

उनके निधन पर लोक-सभा, पूरी संसद् और समस्त देश शोक संतप्त है।

यही घटना ठीक एक माह पहले मेरे नगर—विशाखापटनम्—में हुई होती जबकि अध्यक्ष को प्रथम बार एक तेज़ दौरा पड़ा था। उन्होंने अपना सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिया और वह वहां तीन दिन रहे जिसके उपरांत उन्हें ट्रेन में बैठाने का अवसर मुझे मिला, और मैं सोचता हूं कि वही उनको अंतिम यात्रा थी। उनका अपने आप में और स्वास्थ्य लाभ करने में इतना अदम्य आत्मविश्वास था और जिन

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लंका सुन्दरम्]

संस्थाओं से वह सम्बन्धित थे उनके प्रति उनकी कर्तव्य भावना इतनी अधिक थी कि उन्होने मुझे समाचार-पत्रों को और बंबई तथा अन्य स्थानों में रहने वाले अपने अन्य मित्रों को इस आशय का तार भेजने का प्रधिकार दिया कि उन्हें दिल का दौरा नहीं हुआ था और वह बिलकुल स्वस्थ थे और अहमदाबाद लौट रहे थे। यह घटना विशाखापटनम् में विगत मास की तीस तारीख को हुई थी।

एक घटना मैं लोक-सभा को बताना चाहता हूं क्योंकि वह अज्ञात है। उनकी तीन दिन की बीमारी के बाद, जो हम सभी के लिये अत्याधिक चिंता का विषय थी, जिस दिन मैंने उन्हें ट्रेन में बैठाया, उन्हें गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष के नाते यह पता लगा कि हरिजनों के लिये एक मंदिर का—जो संभवतः भारत में अपने ढंग का एक ही हो—यह १९३३ में गांधीजी द्वारा पुण्यार्पण किया गया था तो उन्होंने उक्त मंदिर को देखने के लिये वहां तक की यात्रा की और मेरी सभी चेतावनियों की उपेक्षा करते हुये वह मोटर से उतरे, मंदिर का निरीक्षण किया, उसकी देखभाल के लिये समुचित प्रबंध किया और उसके बाद ही वह ट्रेन से रवाना हुये।

जनकार्य के प्रति उन्हें असाधारण लगाव था जोकि आश्चर्यजनक था। पिछले कई वर्षों से मैं उन्हें संसद् में और उसके बाहर अच्छी तरह जानता था। वह एक देशभक्त, महान और गुणसम्पन्न व्यक्ति थे और उनके परिवार को प्रेषित किये जानेवाले शोक सन्देश से मैं भी सहयोग करता हूं।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : इस लोक-सभा में स्वर्गीय श्री मावलंकर के सम्मान में जो भावनायें अभिव्यक्त की गई हैं और मृतात्मा के प्रति जो श्रद्धांजलियां अर्पित की गई हैं, उनका स्वतंत्र संसदीय दल की ओर से मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और लोक-सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्री जी० वी० मावलंकर के गुज़रने पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। श्री मावलंकर के बारे में जो कुछ भी अभी कहा गया या कहा जाय वह कम है। आज यह लोक-सभा बग़ैर उनके बिलकुल सूनी दिखाई देती है। मुझे याद है कि कई दफा हमारी बहिनें मिल कर उनके पास जाती थीं और वह हमको नसीहत देते थे कि लोक-सभा में किन किन विषयों पर हम को बोलना है और हमको उनकी बहुत मदद थी। मुझे यह भी ख्याल आता है कि यह जो लोक-सभा है, इसकी नींव असल में उन्होंने डाली थी। कल तक हमें यक़ीन था और विश्वास हो चला था कि भगवान उनकी उम्र बढ़ा देगा और आज सुबह का अख़बार देखने के बाद हम समझते थे कि अब वे अच्छे हो जायेंगे लेकिन आज ९ बजे सुबह जब हमने उनकी दुखद मृत्यु का समाचार सुना तो हमारे दिल को बड़ा ज़बर्दस्त धक्का लगा और हमें निहायत ही दुःख हुआ। श्री जी० वी० मावलंकर इस लोक-सभा के स्पीकर ही नहीं थे बल्कि असल में वे एक बहुत बड़े और मज़बूत पहाड़ थे। जब भी उनसे हम लोग मिलते तो वह हमको लोक-सभा के क़ायदे क़ानून समझाते थे, इसके अलावा वे देश के एक बड़े भारी समाज सेवक थे और ख़ास तौर से कस्तूरबा ट्रस्ट का काम उनकी देखरेख में चलता था और उस काम के सिलसिले में जब हम उनसे मिलने जाते थे तो वे हमको बतलाते थे कि स्त्रियों की उन्नति किस तरीके से की जाय और हमको क्या करना चाहिये, बराबर इसपर चर्चा किया करते थे। आज उनके गुज़र जाने से सम्पूर्ण देश का बहुत भारी नुक़सान हुआ है और हम बहिनों का और ख़ास तौर से इस लोक-सभा का तो बहुत ही बड़ा नुक़सान हुआ है। मैं चाहती हूं कि हमारी ओर से आप श्रीमती जी० वी० मावलंकर को, उनके पुत्रों को और उनकी पुत्रियों को यह प्रस्ताव भेज दीजिये कि हमें निहायत रंज और दुःख है।

मैं समझती हूं कि उनकी मृत्यु से जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं मालूम पड़ता। भारत में तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो उनकी जगह पर आ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सभा के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उनका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं ।

यह एक बहुत बड़ी हानि है और श्री मावलंकर के निधन से एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । उनका स्वास्थ्य विगत २-३ वर्षों से ठीक नहीं था, इस बात को हम सब जानते थे । यद्यपि वे कभी कभी संसद में उपस्थित नहीं रहते थे और दिल्ली में अथवा अहमदाबाद में शय्या पर लेटे रहते थे तथापि हम सबको साहस बंधा रहता था और विशेषकर मुझे ऐसा लगता था कि वह निरन्तर मेरा मार्ग संचालन करते रहते थे । मैंने उनसे काफ़ी शिक्षा पाई है और यदि में लोक-सभा में कुछ कर सका हूं तो वह उनके परामर्श का ही परिणाम था जो वह मुझे समय-समय पर देते रहते थे । मैं आशा करता था कि वह स्वास्थ्यलाभ करेंगे और ईश्वर उन्हें लम्बी आयु तक जीवित रखेगा । और यद्यपि वह संसद में न आ सकें तो भी जब तक हममें से कुछ व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते थे तब तक संसद और सम्पूर्ण देश उनका परामर्श प्राप्त कर सकता था । किन्तु विधि का विधान कुछ और ही था ।

एक व्यक्ति के नाते, एक राजनीतिज्ञ के नाते, एक महान प्रवक्ता के नाते और एक देशभक्त के नाते उन्होंने सम्माननीय जीवन व्यतीत किया । स्वतंत्रता के संघर्ष में, तीन या चार बार जब भी आवश्यकता पड़ी, वह कारावास गये । वह एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे । वह नवीन अहमदाबाद के निर्माता थे और सरदार पटेल का दाहिना हाथ थे ।

गुजरात ने महान आत्माओं को जन्म दिया है । राष्ट्रपिता बापू गुजरात के थे । सरदार पटेल गुजरात के थे । विट्ठलभाई पटेल, जिन्होंने ऐसे समय में स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया जबकि प्रशासन हमारे अधीन नहीं था, गुजरात के ही थे । किन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमारे निकट श्री मावलंकर थे । उनको लोक-सभा का जनक कहना उचित ही है । उन्होंने प्रजातंत्र के विकास में अत्यधिक योग दिया है और लोक-सभा में प्रजातांत्रिक परम्पराओं की सुदृढ़ नींव डाली है । उन्होंने जो परम्परायें स्थापित की हैं वे लोक-सभा के लिये अविस्मरणीय रहेंगी । राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की केंद्रीय समिति की जमैका में आयोजित हाल ही की एक बैठक में वह उपस्थित होने वाले थे; वह और मैं दोनों ही भारत के प्रतिनिधि थे । किन्तु वह नहीं जा सके तथापि उनकी अनुपस्थिति में सभी सदस्यों ने एकमत से उन्हें उक्त समिति का अध्यक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि वे किसी अन्य की अल्पना ही नहीं कर सकते थे । वे सभी इस बात के लिये उत्सुक थे कि राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का सम्मेलन भारत में हो और श्री मावलंकर ने उन्हें सुझाव दिया था कि वे दिसम्बर १९५७ में यहां आकर सम्मेलन आयोजित कर सकते थे । यह उनके और हमारे प्रधान मंत्री के कारण ही था कि कई राष्ट्रमंडलीय देश भारत में सम्मेलन आयोजित किये जाने पर जोर दे रहे थे । उनको न केवल भारत में और संसद् में ही आदर प्राप्त था किन्तु सभी राष्ट्रमंडलीय देशों में, जहां वह गये, उनका आदर किया गया था । भारत से भेजे गये संसदीय शिष्टमंडलों का उन्होंने कई बार नेतृत्व किया था । अन्तिम बार उन्होंने ओटावा भेजे गये भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था । राष्ट्रमंडलीय अध्यक्षों के सम्मेलन में भी वह उपस्थित रहे । उन्होंने यहां कई बार पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया । वह लगातार कई वर्षों तक विभिन्न स्थानों को किसी न किसी राज्य की राजधानी का दौरा करते रहे । उन्होंने उक्त स्थानों का भ्रमण सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ किया था । उनका परामर्श बहुमूल्य था । वह हमारे लिये मार्गप्रदर्शक नक्षत्र थे; आज हम उन्हें खो बैठे हैं । निस्संदेह संसद् का और अन्य संस्थाओं का कार्य चलता रहेगा किन्तु उस प्रकाश का, जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करता रहा है, अभाव रहेगा और उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति आने वाले बहुत समय तक नहीं की जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

उनके परिवार के सदस्यों को, मैं लोक-सभा की समवेदनायें प्रेषित करता हूं । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मृतात्मा के सम्मान में हम एक मिनट के लिये मौन खड़े रहें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा के सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज लोक-सभा की बैठक करना उचित नहीं होगा ऐसा मेरा विचार है । उनकी स्मृति में आज लोक-सभा स्थगित रहेगी और कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २७ फरवरी, १९५६]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख ४०९–१६

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू), श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री अशोक मेहता, श्री एन० सी० चटर्जी, सरदार हुक्म सिंह, श्री यू० एम० त्रिवेदी, डा० लंका सुन्दरम्, श्री जी० डी० सोमानी, श्रीमती उमा नेहरू और उपाध्यक्ष महोदय ने लोक सभा के अध्यक्ष श्री जी० वी० मावलंकर के निधन का उल्लेख किया। इस के पश्चात् आदर प्रकट करने के लिये सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े हुए और उस दिन के लिये सभा स्थगित कर दी गई।

मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६ के लिये कार्यावलि—

पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन-विधेयक और बिक्री कर (विधियों का मान्यीकरण) विधेयक पर विचार एवं पारण।

M82LSD—190—27-9-57—GIPF